न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिउ, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 97/2013

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. भंवरकंवर पुत्री विजयसिंह पत्नि बहादुरसिंह जाति राजपूत नि0 1ए रोड 4ए कुमावत कॉलोनी खातीपुरा रोड जोटवाड़ा जयपुर तह0 व जिला जयपुर (राज0)		1 अणचीकंवर देवा जयसिंह जाति राजपूत नि0 धांगडवास, तह0 सोजत जिला पाली (राज0) हाल राजपूतो का मौहल्ला ग्राम पोस्ट भाण्डू तह व जिला जोधपुर
2. प्रेमकंवर पुत्री विजयसिंह पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत नि0 जोलियाली तह व जिला जोधपुर (राज0)		2 तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर)सोजत
3. छोटूकंवर पुत्री विजयसिंह पत्नि फतेहसिंह जाति राजपूत नि0 भैसाणा तह0 सोजत जिला पाली।		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए एवं 188 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कल्पेश गोयल एवं श्री गजेन्द्रसिंह अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री विनोद वैष्णव एवं अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 16/05/22

अधिवक्तागण गय वादीगण द्वारा दिनांक 19.03.2013 को न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण स्व विजयसिंह जाति राजपूत नि0 धांगडवास तह0 सोजत की पुत्रियां है। प्रतिवादी संख्या 01 मृतक विजयसिंह की पुत्रवधु है। विजयसिंह की मृत्यु वर्ष 1979 में हुई। जिनके हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी केसरकंवर पत्नि(फौत), जयसिंह(फौत) पुत्र भंवरकंवर, प्रेमकंवर, छोटूकंवर पि0 विजयसिंह(फौत), अणचीकंवर पत्नि जयसिंह है। विजयसिंह की मृत्यु के बाद दिनांक 01.12.2012 को केसरकंवर का भी स्वर्गवास हो गया एवं विजयसिंह के पुत्र जयसिंह का स्वर्गवास दिनांक 1998 में हो गया। सरहद गौजा ग्राम धांगडवास पटवार हल्का रेपडावास की सरहद में खसरा नंबर 74 रकबा 1.3000 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 78 रकबा 0.3500 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 79 रकबा 1.0100 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 119 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 189 रकबा 2.1900 हैक्टर, किस्म सेवज अव्वल, कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर भूमि है। खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1800 हैक्टर पुश्तैनी भूमि है। इस प्रकार यह वाद की विषय वस्तु है, जो आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित की जायेगी। वाद के पद संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189, 197, 675/970 भूमि का पूर्व में खातेदार विजयसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

लालसिंह थे, स्वर्गीय विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान वादीगण है, उनकी पुत्रिया है, एवं उनका एकमात्र पुत्र जयसिंह था, जिसका तथा वादीगण की माता का भी देहान्त हो गया है। विजयसिंह का स्वर्गवास हुआ तो म्यूटेशन संख्या 46, 47 विधि विरूद्ध स्वीकृत हुआ, क्योकि विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान उनकी पत्नि, पुत्रिया एवं पुत्र जिन्दा थे। परन्तु म्यूटेशन संख्या 46, 47 जो स्वीकृत किया गया वह केवल मात्र विजयसिंह के पुत्र जयसिंह के नाम स्वीकृत किया गया, जो विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जब किसी खातेदार की मृत्यु होती है, तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार भी खातेदार के जायन्दा पुत्र/पुत्रियां व उसकी पत्नि का हक व हिस्सा होता है। जब विजयसिंह का स्वर्गवास हुआ तो जो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 स्वीकृत किया गया वह विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया। क्योंकि स्वर्गीय विजयसिंह के 03 पुत्रियां, एक पत्नि एवं एक पुत्र जयसिंह जिसका स्वर्गवास हो गया, उनके स्वर्गवास के पश्चात म्यूटेशन संख्या 270 व 271 स्वीकृत किया गया, जयसिंह की पत्नि के नाम जो प्रतिवादी संख्या 1 है, वह भी विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जयसिंह के नाम दर्ज की गई, वह विधि विरूद्ध की और जयसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात उसकी पत्नि के नाम जो म्यूटेशन स्वीकृत किये गये वह भी विधि विरूद्ध किये गये। जब प्रथम श्रेणी के वारिस जिन्दा है तो उन सभी के नाम म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने चाहिए थे। इसलिए वादीगण को यह घोषणा खातेदारी का वाद पेश करना पड रहा है कि वादीगण स्व0 विजयसिंह की पुत्रिया है, जो स्व0 विजयसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इसलिए वाद के पद संख्या 04 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के पिता विजयसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात् जो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 विजयसिंह के एकमात्र पुत्र जयसिंह के नाम स्वीकृत किये गये वे विधि विरूद्ध स्वीकृत किये गये है। क्योकि विजयसिंह के पुत्र जयसिंह के अलावा प्रथम श्रेणी के वारिस विजयसिंह की पत्नि व जायन्दा पुत्रियाँ भी है। इस प्रकार विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 विधि विरूद्ध किये गये है, जो निरस्त योग्य है और उसके पश्चात जयसिंह के स्वर्गवास के बाद म्यूटेशन संख्या 270 व 271 जो प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया है, वह भी विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है, जो भी निरस्त योग्य है। क्योकि वादग्रस्त भूमि में स्व0 विजयसिंह का खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 की भूमि में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 यह भूमि सम्पूर्ण रकबा विजयसिंह की खातेदारी का है, तो उनके स्वर्गवास के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार व राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 40 के अनुसार स्व विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसो के नाम म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिए था। जबकि म्यूटेशन संख्या 46 व 47 व म्यूटेशन संख्या 270 व 271 गलत व विधि विरूद्ध स्वीकृत किये गये है। क्योकि जयसिंह के अलावा स्व0 विजयसिंह के 03 पुत्रिया व एक बेवा भी जिंदा थे व बेवा की मृत्यु हो चुकी है। क्योकि वादीगण को यह घोषणा खातेदारी का वाद पेश करना पड रहा है। वादीगण स्व0 विजयसिंह जी पुत्रिया है और प्रथम श्रेणी की वारिस है। वाद के पद संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि में स्व0 विजयसिंह का खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 की भूमि में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 यह सम्पूर्ण भूमि रकबा विजयसिंह का है तो विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात म्यूटेशन उनके प्रथम श्रेणी के वारिसो के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था, जबकि विजयसिंह के एकमात्र जयसिंह के नाम ही स्वीकृत कर दिया। जयसिंह के अलावा विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस उसकी पत्नि व उनकी पुत्रिया भी थी। इसलिए वादीगण स्वर्गीय विजयसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है। वादीगण स्व0 विजयसिंह की प्रथम श्रेणी की

वारिस है। वादीगण को यह घोषणा खातेदारी का वाद पेश करना पड रहा है। स्व0 विजयसिंह की पत्नि जीवित थी, तब काश्त जरिए हासल केसरकंवर करती थी और वर्तमान में वादीगण कर रहे है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम धांगडवास में न रह कर अपने पीहर मांण्डू में रहती है। इसलिए घोषणा खातेदारी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जाना लाजमी है कि वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 दखलअंदाजी न करे। श्रीमति केसरकंवर के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपना नाम खुलवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तब ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर ही दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जब श्रीमति केसरकंवर के स्वर्गवास के पश्चात गांव धांगडवास आई और वादग्रस्त भूमि को बेचने हेतु लोगो से सम्पर्क किया। तब हाल ही में बिनायदावा की स्थिति पैदा हुई. वादीगण के माता व पिता के स्वर्गवास होने के बाद भूमि मात्र वादीगण के भाई के नाम दर्ज होने से बिनायदावा बमुकाम ग्राम धांगडवास में पैदा हुआ। भूमिधारी तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 2 हैं जो फोरमल पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादग्रस्त भूमि मौजा धांगडवास प0ह0 रेपडावास तह0 सोजत में होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। वाद के पद संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 की भूमि में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 की सम्पूर्ण भूमि रकबा विजयसिंह का है, उसमें से वादीगण जो स्व0 विजयसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है, उसे खातेदार घोषित किया जावे और जो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जयसिंह के नाम स्वीकृत किये गये है जो विधि विरूद्ध स्वीकृत किये गये है, उन्हे निरस्त किये जावे और म्यूटेशन संख्या 270 व 271 जो जयसिंह के स्वर्गवास के बाद उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम स्वीकृत किये गये है उन्हे निरस्त किये जावे। कहने का अर्थ है कि वादपत्र के पद संख्या 04 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि जो स्वर्गीय विजयसिंह की खातेदारी की थी और विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुए वे विधि विरूद्ध हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 अनुसार नही किये गये। इसलिए स्व0 विजयसिंह के पुत्र स्व0 जयसिंह की पत्नि के नाम जो सम्पूर्ण रकबा दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्ध किया गया है। क्योंकि स्वर्गीय जयसिंह के अलावा विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस स्वर्गीय विजयसिंह की पुत्रियॉं वादीगण भी है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में जो विजयसिंह का हिस्सा है, उसका खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे और जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हुए है उसे निरस्त किया जावें। वादपत्र के पद संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबरान की भूमि में विजयसिंह का जो हिस्सा व जो सम्पूर्ण रकबा विजयसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का म्यूटेशन उनकी बेवा व उनकी पुत्रियां व पुत्र के नाम स्वीकृत होना चाहिए था, जो केवल मात्र उनके पुत्र के नाम स्वीकृत हुआ। इसलिए उक्त म्यूटेशन संख्या 46, 47, 270 व 271 को निरस्त हुए स्वर्गीय विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसो के नाम खातेदारी घोषणा की जावे और साथ में घोषणा खातेदारी की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने माफिक ईशतदुआ दावा वाद वाद डिक्री किये जाने तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोके जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सामनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 सं0 02 को जारी समनस दिनांक 21.03.2013

को बावजूद तामिली सूचना अनुपस्थित रहे है, एक पक्षीय कार्यवाही की गई, उक्त प्रति0 प्रकरण में फोरमल पक्षकार ही है। जिसके विरूद्ध कोई अनुतौष नहीं है। दिनांक 05.08.2013 को प्रति0 संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति दिनांक 04.09.2013 को दिलाई गई, सा0मि0 किया गया। दिनांक 18.02.2014 को प्रस्तुत प्रा0 पत्र आदेश 8 नियम 9 सीपीसी दिनांक 15.10.2014 को नोट प्रेस करने से खारिज किया गया। अधिवक्ता गण प्रतिवादी संख्या 01 ने ज0दा0 पेश किया कि पैरा संख्या 1 सही दर्शित है। पैरा संख्या 2 में स्वर्गीय विजयसिंह का राजेरा खानदान दर्शित है जो सही है। अन्य शेष कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 3 सही है। पैरा संख्या 4 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का लिखना सर्वथा गलत है कि सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 1.3000 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 78 रकबा 0.3500 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 79 रकबा 1.0100 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नंबर 119 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 189 रकबा 2.1800 हैक्टर, किस्म सेवज अव्वल, इस प्रकार कुल खसरा 05 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर भूमि एवं खसरा नंबर 197 रकबा 1.1900 हैक्टर किस्म सेवज अव्वल खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1800 हैक्टर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मुश्तैनी है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पति स्वर्गीय जयसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम एलोटमेंट सुदा कृषि भूमि है। उक्त खसरा नंबरान 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह पुत्र विजयसिंह को दिनांक 14.05.1976 को एलोटमेंट हुई। वक्त आवंटन से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 675/970 पर काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात आज दिनांक तक उक्त कृषि भूमि व वादग्रस्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 1 का ही चला आ रहा है। पैरा संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबर 675/970 के अलावा अन्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्वर्गीय जयसिंह अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के बाद तमाम वादग्रस्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का चला आ रहा है। वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण तीनो ही विवाहित है, जो शादी के बाद से अपने ससुराल में ही रहवास करती है। वादीगण ने बढ़ाचढ़ा कर गलत तरीके से वाद पेश किया है तथा वादीगण कभी भी सामाजिक समारोह मौके के अलावा ग्राम धांगड़वास में नही आई है। यानि कि वादीगण शादी के बाद स्थाई रूप से अपने अपने ससुराल में रह रही है। पैरा संख्या 4 सम्पूर्ण गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 5 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि पैरा संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार विजयसिंह पुत्र सालमसिंह थे, जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा संख्या 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पति जयसिंह पुत्र विजयसिंह की एलोटमेंट सुदा है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा वादीगण का यह भी लिखना सर्वथा गलत है कि विजयसिंह का स्वर्गवास हुआ तो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 विधिविरूद्ध स्वीकृत हुआ, जबकि वास्तविकता यह है कि म्यूटेशन संख्या 46 व 47 कानुनन सही स्वीकृत हुए। वादीगण यह भी लिखना गलत है कि जयसिंह की मृत्यु के पश्चात म्यूटेशन संख्या 270 व 271 स्वीकृत किये गये, जो विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये, जबकि वास्तविकता यह है कि म्यूटेशन संख्या 270 व 271 जयसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 अणची कंवर के नाम स्वीकृत हुए, जो कानुनन सही स्वीकृत

हुए, क्योंकि स्व0 जयसिंह की हिन्दु उत्तराधिकार के अनुसार एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 अणचीकंवर ही है तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का ही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्थ कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने घोषणा एवं निषेधाज्ञा से सम्बन्धित बिल्कुल ही गलत एवं झूठा दावा पेश किया है, जो काबिले खारिज के है। पैरा संख्या 5 पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 6 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि विजयसिंह का स्वर्गवास हुआ तो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये। जबकि वास्तविकता यह है कि म्यूटेशन संख्या 46 व 47 कानुनन सही स्वीकृत हुए। वादीगण का यह भी लिखना गलत है कि जयसिंह की मृत्यु के पश्चात म्यूटेशन संख्या 270 व 271 स्वीकृत किये गये, जो विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये, जबकि वास्तविकता यह है कि म्यूटेशन संख्या 270 व 271 जयसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 अणचीकंवर के नाम स्वीकृत हुए, जो कानुनन सही स्वीकृत है। क्योंकि स्व0 जयसिंह की हिन्दु उत्तराधिकार के अनुसार एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 01 अणचीकंवर ही है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 1 का ही है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी ने म्यूटेशन को निरस्त करवाने की घोषणा के सम्बन्धित बिल्कुल ही गलत व झूठा दावा पेश किया है। राज0 काश्त0 अधि0 के तहत म्यूटेशन को निरस्त करवाने की घोषणा से सम्बन्धित वाद न्यायालय हाजा व अन्य किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। म्यूटेशन की अपील या रिवीजन होती है। पैरा संख्या 6 पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 7 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि वाद के पत्र संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबर की भूमि खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 की भूमि में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 की भूमि सम्पूर्ण रकबा विजयसिंह का है तो विजयसिंह की मृत्यु के पश्चात म्यूटेशन उनके प्रथम श्रेणी के वारिसो के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था, जबकि विजयसिंह के एकमात्र जयसिंह के नाम ही स्वीकृत कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में से खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पति स्वर्गीय जयसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम एलोटमेंट शुदा कृषि भूमि है उक्त खसरा नंबरान 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पति जयसिंह पुत्र विजयसिह को दिनांक 14.05.1976 को एलोटमेंट हुई। वक्त आवंटन से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 675/970 पर काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात आज दिन तक उक्त कृषि भूमि व वादग्रस्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 01 का चला आ रहा है। वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि को वादीगण घोषणा खातेदारी करवाने के अधिकारी नहीं है। पैरा संख्या 7 सम्पूर्ण गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 8 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि स्वर्गीय विजयसिंह की पत्नि जीवित थी, तब काश्त जरिए केशर कंवर करती थी तथा वर्तमान में वादीगण कर रहे है। जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम धांगडवास में ही निवास कर रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है वादीगण तीनो ही विवाहित है, जो शादी के बाद से अपने ससुराल में ही रहवास करती है। वादीगण ने बढा चढा कर गलत शरीके से वाद पेश किया है तथा वादीगण कभी सामाजिक सगाईह मौके के अलावा ग्राम धांगडवास में नही आई है यानि कि वादीगण शादी के

बाद स्थाई रूप से अपने अपने ससुराल में रह रही है। वादीगण ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद गलत एवं झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 रेकर्डेड खातेदार के काबिज काश्त है। राज0काश्तका0अधि0 के तहत रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है, न ही वादीगण किसी प्रकार से ईश्तदुआ पाने के अधिकारी है। पैरा संख्या 8 सम्पूर्ण गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 9 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण का यह लिखना, सर्वथा गलत है कि केसर कंवर की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सख्या ग्राम धांगडवास आई, और वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचने हेतु लोगो से सम्पर्क किया तब हाल ही में बिनाय दावे की स्थिति पैदा हुई। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी सख्या 1 ग्राम धांगडवास में ही निवास करती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि बेचने हेतु कतई आमादा नहीं है। वादीगण ने पैरा संख्या 9 में कोई बिनाय दावा मे समय, तिथि, वाद, दिनांक अंकित नहीं की है। वादीगण ने पटवारी हल्का से कब किस दिनांक को सम्पर्क किया, वाद पत्र के पैरा संख्या 9 में अंकित नही किया है। वादीगण को कोई बिनाय दावा पैदा नही हुआ है। बिनाय दावा के बिना दावा कतई चलने लायक नहीं, इस कारण दावा काबिले खारिज के है। पैरा संख्या 9 सम्पूर्ण गलत होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 10 अर्जी दावा में वर्णित कथन व तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। भूमिधारी तहसीलदार, प्रतिवादी सख्या 2 फर्मल पक्षकार नहीं है। भूमिधारी तहसीलदार के खिलाफ दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस देना अनिवार्य है। वादीगण ने न तो दावा करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक को 80 सीपीसी का नोटिस दिया है न ही वादीगण ने दावा करने से पूर्व धारा 80(2) सीपीसी की इजाजत का प्रा0 पत्र वाद पत्र के साथ पेश किया हैं। इस कारण दावा काबिले खारिज के है। पैरा संख्या 11 गौर अदालत के है। पैरा संख्या 12 गौर अदालत के है। पैरा संख्या 13 वादीगण की ईश्तदुआ है जो काबिले खारिज के है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं आता है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त कृषि भूमि में से खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह पुत्र विजयसिंह को दिनांक 14.05.1976 को एलोटमेंट हुई। वक्त आवंटन से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 के पति अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 675/970 पर काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात आज दिन तक उक्त कृषि भूमि व वादग्रस्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 1 का ही चला आ रहा है। पैरा संख्या 4 में वर्णित खसरा नंबर 675/970 के अलावा अन्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 के पति स्व0 जयसिंह अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के पश्चात तमाम वादग्रस्त कृषि भूमि पर एकमात्र कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 01 का चला आ रहा है। वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण तीनो ही विवाहित है, जो शादी के बाद में अपने ससुराल में ही रहवास करती है। वादीगण ने बढा चढा कर गलत तरीके से वाद पेश किया है तथा वादीगण कभी भी सामाजिक सनारोह गौके के अलावा ग्राम धांगडवास में नही आई है। यानि कि वादीगण शादी के बाद स्थाई रूप से अपने ससुराल में रह रही है। वादीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे कतई कोई हक हिस्सा कलेम नही कर सकती है। क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पति स्व0 जयसिंह की एलोटसुदा कृषि भूमि है। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि की घोषणा करवाने व ना ही प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। वादीगण का वाद पूर्णत गलत व झूठे तथ्यों पर आधारित है, जो काबिले खारिज होने के कारण मय खर्चा हर्जा खरगाया जावें।

विशेष उजरात में वादी गण ने अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारी तहसीलदार, सोजत के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का न तो नोटिस दिया, न ही वादीगण ने धारा 80(2) में दावा करने से पूर्व इजाजत का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इस कारण दावा काबिले खारिज के है। वादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 के अन्य खातेदारान को वादपत्र को पक्षकार नही बनाया हैं। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य खातेदार वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है। वादीगण ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य खातेदारान को सुने बिना व पक्षकार बनाये बिना वादीगण का वाद चलने लायक नहीं है। इस कारण दावा काबिले खारीज के है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार के काबिज काश्त है। राज0 काश्त0 अधि0 के तहत रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती है। इस कारण दावा काबिले खारिज के है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.000 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह पुत्र विजयसिंह को दिनांक 14.05.1976 को एलोटमेंट हुई। वक्त आवंटन से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 के प्रति अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 675/970 पर काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के बाद आज दिन तक उक्त कृषि भूमि व वादग्रस्त कृषि भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 01 का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 मृतक जयसिंह की एकमात्र कानुनन उतराधिकारी है। उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा है, ना ही वादीगण उक्त कृषि भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियन के तहत उक्त कृषि भूमि 675/970 के पूर्व खातेदार स्व0 जयसिंह की एकमात्र उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 01 है। वादीगण उक्त कृषि भूमि बाबत कोई हक हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती है। इस कारण वादीगण का वाद काबिले खारिज के है। वादीगण ने वाद पत्र के पैरा संख्या 09 में बिनाय दावा बाबत कोई तिथि, वार, समय, अंकित नही किया है। बिनाय दावा के बिना वादीगण का वाद कोई चलने लायक नहीं है। इस कारण दावा काबिले खारिज के है। इस प्रकार जे0दा0 पेश कर वादीगण का वाद मनगढंत गलत झूठे व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य किये जाने की इस्तदुआ की है।

अधिवक्ता गण वादीगण ने जबाबुल जबाब पेश कर अंकित किया कि वादीगण का वाद म्याद बाहर होने से न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है। वादीगण ने म्यूटेशन को निरस्त करवाने की घोषणा के सम्बन्धित बिल्कुल ही गलत व झूठा दावा पेश किया है। राज0काश्त0अधि0 के तहत म्यूटेशन को निरस्त करवाने की घोषणा से सम्बन्धित वाद न्यायालय अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। म्यूटेशन की अपील या रीविजन होती है। इस कारण काबिले खारिज के है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जबाब दावा के विशेष उजरात में भूमिधारक तहसीलदार के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के नोटिस नही देना बताया। जिसका जबाब है कि प्रतिवादी संख्या 02 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है, जिसके विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जबाब दावा के विशेष उजरात के पैरा संख्या 02 में वादस्थ कृषि भूमि के अन्य खातेदारान को वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया जाना बताया है। वादीगण ने अन्य सह खातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा अन्य सहखातेदारान का इस वाद से कोई हित प्रभावित नही होता है। फिर भी न्यायालय की हिदायत के अनुसार पक्षकार बनाया जा सकता है। वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। जबाब दावा के विशेष उजरात के पैरा संख्या 03 में प्रतिवादी ने रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने के बारे में बताया। जिसका जबाब है कि वादस्थ कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त

की कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का भी हक अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 अकेले ने अपने नाम राजस्व रेकर्ड में वादीगण को बिना पूछे एवं बिना नोटिस दिये म्यूटेशन भरवा दिया तथा उक्त कृषि भूमि आगे शख्स को बेचान हस्तान्तरण करने पर अमादा है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 उक्त कृषि भूमि को आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण कर देंगे तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादीगण अपने हक अधिकारों से महरूम हो जायेंगे तथा वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि में दखल अंदाजी पैदा कर बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने विशेष उजरात के पैरा संख्या 4 में खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.0000 हैक्टर कृषि भूमि जयसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम दिनांक 14.05.1976 को एलोटमेंट होना बताया है। जबकि उक्त कृषि भूमि पर विजयसिंह अपने जीवनकाल में काबिज काश्त थे, तथा यदि जयसिंह ने बाले बाले विजयसिंह के स्थान पर अपने नाम दर्ज करवा दी है, जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्व में नही थी। अब प्रतिवादी संख्या 01 उक्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल करने की धमकिया देने पर जानकारी में आया जबकि उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है। जबाब दावा के विशेष उजरात के पैरा संख्या 05 में प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को बिनाय दावा उत्पन्न नही होना बताया है जबकि वादीगण के पिता की पुश्तैनी कृषि भूमि का म्यूटेशन वादीगण को सुने बगैर एवं बिना नोटिस दिये प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने नाम म्यूटेशन करवा दिया तथा अब बेचान हस्तान्तरण करने पर अमादा है। जिसकी धमकियां वादीगण को देने पर उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 ने जबाब दावा के विशेष उजरात के पैरा संख्या 06 में वाद म्याद बाहर होना बताया है। जबकि खातेदारी घोषणा के वाद में म्याद कतई लागू नही होता है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने नाम उक्त कृषि भूमि करवाने की जानकारी प्रथम बार राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी होते ही खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत कर दिया जो वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत है। प्रतिवादी ने विशेष उजरात के पैरा संख्या 07 में म्यूटेशन निरस्त करवाने के क्षेत्राधिकार के संबंध में बताया है तथा वादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने तथा उनकी पिता की सम्पति में उनके देहान्त के बाद उनका अधिकार निहित हो चुका है। जिसकी खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार जबाबुल जबाब पेश कर इसे वाद-पत्र का भाग के रूप में पढ़ा जाकर मानिन्द दावा वाद डिक्री किये जाने की ईस्तुदआ की है।

प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादीगण एवं जबाबुल जबाब की प्रति अधिवक्ता प्रति0 को दिलाई गई सा0नि0 है।

दिनांक 15.12.2014 को तनकियात निम्नांकित कायम की गई :—

1. आया वादीगण का सरहद मौजा ग्राम धांगडवास के खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 169 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1800 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि में विजयसिंह का नाम दर्ज है। वादीगण स्व0 विजय सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. आया वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि में विजयसिंह के हिस्से तक प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3. आया सम्पूर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी नहीं है, बल्कि खसरा नंबर 675/970 की कृषि भूमि जयसिंह को आवंटित हुई है। जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. अन्य अनुतोष ।

कार्यवाहक अधिकारी
कोजी

अधिवक्ता वादीगण ने दिनांक 22.09.2015 को शहादत वादीगण भंवर कंवर पीडब्ल्यु-1 के तस्दीकसुदा शपथ-पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधि0 प्रति0 को दिलाई गई मुख्य परीक्षण एवं जिरह अधिवक्ता प्रति 0 बयान दिनांक 16.03.2016 को बयान कलमबद्ध करवाये करवाये गए सा0मि0 है दिनांक 27.09.2016 को अधि0 वादीगण अन्य शहादतवादी पेश नहीं करना चाहने से शहादतवादी बंद की गई। दिनांक 21.10.2016 को शहादतवादी अधिवक्ता प्रति0 ने ऊणची कंवर डीडब्ल्यु-1 के तस्दीकसुदा शपथ-पत्र पेश कर दिनांक 09.04.2018 को कोस्ट राशि लगाई जाकर मुख्य परीक्षण एव जिरह अधिवक्ता वादीगण बयान कलमबद्ध करवाये गए, सा0मि0 है। तत्पश्चात् समय समय पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा शहादत प्रतिवादी पेश करने हेतु अनेकानेक अवसरो के बावजूद भी विफल रहने से अवसर समाप्त किया गया तथा दिनांक 12.01.2021 को शहादत प्रतिवादीगण बन्द की गई।

अन्तिम बहस बकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा धांगड़वास प0ह0 रेपड़ावास, तह0 सोजत के खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल किता 05 कुल रकबा 4.9100 है0 की भूमि में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 कुल किता 02 कुल रकबा 2.1800 है0 की सम्पूर्ण भूमि पैतृक एवं पुश्तैनी विजयसिंह की है। जो सजरा वंशावली से प्रमाणित है। वादीगण जो स्व0 विजयसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है, उसे खातेदार घोषित किये जाने इससे सम्बन्ध और जो म्यूटेशन संख्या 46 व 47 विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जयसिंह के नाम स्वीकृत किये गये है जो विधि विरूद्ध स्वीकृत किये गये है, उन्हे निरस्त किये जावे तथा म्यूटेशन संख्या 270 व 271 जो जयसिंह के स्वर्गवास के बाद उसकी पत्नि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम स्वीकृत किये गये है उन्हे निरस्त किये जावे। वादपत्र के खसरा नंबरान की भूमि जो स्वर्गीय विजयसिंह की खातेदारी की थी और विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात जो राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुए वे विधि विरूद्ध हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 अनुसार नही किये गये। इसलिए स्व0 विजयसिंह के पुत्र स्व0 जयसिंह की पत्नि के नाम जो सम्पूर्ण रकबा दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्ध किया गया है। क्योकि स्वर्गीय जयसिंह के अलावा विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसान स्वर्गीय विजयसिंह की पुत्रियाँ वादीगण भी है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में जो विजयसिंह का हिस्सा है, उसका खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हुए है उसे निरस्त किया जावें। खसरा नंबरान की भूमि में विजयसिंह का जो हिस्सा व जो सम्पूर्ण रकबा विजयसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, विजयसिंह के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का म्यूटेशन उनकी बेवा व उनकी पुत्रियां व पुत्र के नाम स्वीकृत होना चाहिए था, जो केवल मात्र उनके पुत्र के नाम स्वीकृत हुआ। इस प्रकार विवादग्रस्त उक्त भूमि से सम्बद्ध उक्त म्यूटेशन संख्या 46, 47, 270 व 271 को निरस्त करके स्वर्गीय विजयसिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसो के नाम खातेदारी घोषणा की जावे और साथ में घोषणा खातेदारी की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने माफिक ईस्तदुआ दावा वाद वाद डिक्री किये जाने तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोके जाने की ईस्तदुआ की है। जिसके जबाव बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 ने व्यक्त किया है कि पैरा संख्या 2 में स्वर्गीय विजयसिंह का सजरा खानदान दर्शित है जो सही है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.000 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह पुत्र विजयसिंह को दिनांक 14.05.1976 को एलोटमेंट हुई। उक्त आवंटन से उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 के प्रति अपने जीवनकाल में एका वादग्रस्त कृषि

भूमि खसरा नंबर 675/970 पर काबिज काश्त रहे तथा जयसिंह की मृत्यु के बाद आज दिन तक उक्त कृषि भूमि व वादग्रस्त कृषि भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 01 का ही चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 मृतक जयसिंह की एकमात्र कानूनन उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य खातेदारान को सूने बिना व पक्षकार बनाये बिना वादीगण का वाद चलने लायक नहीं है। इस कारण दावा काबिले खारीज के है। प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि की रेकर्डेड खातेदार के काबिज काश्त है। राज0 काश्त0 अधि0 के तहत रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। लिहाजा अधिवक्ता गण वादीगण का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब दावा, जवाबुल जवाब, दस्तावेजात शहादतवादी एवं प्रतिवादी के प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ पत्र एवं मुख्य परीक्षण एवं जिरह के दौरान कलमबद्ध किये गये बयानों आदि का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस तकुलाव पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जवाब दावा, जवाबुल जवाब एवं दस्तावेजात अनुसार कायम की गई तनकियात का बाद विवेचन/विश्लेषण निम्नांकित रूप से विनिश्चय किया जाता है। दिनांक 16.12.2014 को तनकियात निम्नांकित कायम की गई :-

1. आया वादीगण का सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास के खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर में 1/4 हिस्सा व खसरा नंबर 197, 675/970 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1800 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि में विजयसिंह का नाम दर्ज है। वादीगण स्व0 विजय सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस होने से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

सरहद मौजा धांगड़वास, प0ह0 रेपड़ावास, तह0 सोजत में स्थित खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर व खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 है0 की भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय विजयसिंह का पूर्ववर्ती राजस्व रेकर्ड जनाबंदी एवं नामान्तरकरण आदि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से पैतृक एवं पुश्तैनी होना बखूबी प्रमाणित है। फलतः नामान्तरकरण संख्या 46 एवं 47 विजयसिंह के फौत होने पर जयसिंह के नाम एवं जयसिंह के फौत हो जाने से प्रतिवादी अणजीकंवर के नाम गलत दर्ज होना बखूबी प्रमाणित है। जिन्हे निरस्त किया जाकर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना लाजमी एवं न्यायोचित है। खसरा नंबर 675/970 की भूमि प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जनाबंदिया एवं नामान्तरकरणों आदि राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह की भूमि आवंटित होना तथा उनके फौत हो जाने पर जरिए विरासत खातेदारी प्राप्त होना बखूबी प्रमाणित है। लिहाजा तनकी नंबर 01 खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर व खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 है0 की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में आंशिक रूप से बहक वादीगण विरूद्ध प्रति0 सं0 01 तय की जाती है। खसरा नंबर 675/970 के सम्बन्ध में उक्त तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में यथावत रखा जाना विनिश्चित किया जाता है।

2. आया वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि में विजयसिंह के हिस्से तक प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाने के अधिकारी है।

जिम्मे वादी

सरहद मौजा धांगड़वास, प0ह0 रेपड़वास, तह0 सोजत में स्थित खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर व खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 है0 कृषि भूमि में विजयसिंह के हिस्से तक प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाने के अधिकारी है। उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से तय की जाती है।

3. आया सम्पूर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी नहीं है, बल्कि खसरा नंबर 675/970 की कृषि भूमि जयसिंह को आवंटित हुई है। जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 01 में विस्तृत विवेचनानुसार सम्पूर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी नहीं है, बल्कि खसरा नंबर 675/970 की कृषि भूमि जयसिंह को आवंटित हुई है। जो प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड आदि से बखूबी प्रमाणित है, जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकियात बाद विवेचन/विश्लेषण तनकी संख्या 01 व 02 आंशिक रूप से बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 तय की गई है। तनकी संख्या 03 बहक प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध वादीगण तय की गई है। लिहाजा मौजा धांगड़वास प0ह0 रेपड़वास के पूर्ववर्ती स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 46, 47 तथा 270 व 271 को गलत एवं अवैधानिक भरे जाने से खारिज किया जाना किन्तु दावा मौजा धांगड़वास के खसरा नम्बर 74, 78, 79, 119, व 189 तथा 197 की हद तक आंशिक रूप से डिक्री किया जाना अर्थात सरहद मौजा धांगड़वास, प0ह0 रेपड़वास, तह0 सोजत में स्थित खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर व खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 है0 की भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय विजयसिंह का पूर्ववर्ती राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नामान्तरकरण आदि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से पैतृक एवं पुश्तैनी होना बखूबी प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 के साथ वादीगण को जयसिंह पुत्र विजयसिंह के हिस्से में बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह को आवंटन से प्राप्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज स्व अर्जित खसरा नंबर 675/970 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जाना उचित समझते है।

—आदेश—

अतः आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा धांगड़वास प0ह0 रेपड़वास के पूर्ववर्ती स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 46, 47 तथा 270व 271 को गलत एवं अवैधानिक भरे जाने से खारिज किया जाता है । किन्तु खसरा नम्बर 675/970 रकबा की हद तक दावा अधिकता मय वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार सरहद मौजा धांगड़वास, प0ह0 रेपड़वास, तह0 सोजत में स्थित खसरा नंबर 74,78,79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर व खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 है0 की भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय विजयसिंह का पूर्ववर्ती राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नामान्तरकरण आदि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से पैतृक एवं पुश्तैनी होना बखूबी प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 के साथ वादीगण को जयसिंह पुत्र विजयसिंह के हिस्से में बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह को आवंटन से प्राप्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नंबर 675/970 रकबा1.000 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

भूमि में दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जाता है। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा दखलंदाजी करने से रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर शामिल मिसल हो। तहसीलदार, सोजत को निर्णय डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना गंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य शण्डार जमा हो।

(गोपाल जोगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 16/05/2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जोगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आ०20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 97 / 2013

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. भंवरकंवर पुत्री विजयसिंह पत्नि बहादुरसिंह जाति राजपूत नि0 1ए रोड 4ए कुमावत कॉलोनी खातीपुरा रोड जोटवाडा जयपुर तह0 व जिला जयपुर (राज0) 2. प्रेमकंवर पुत्री विजयसिंह पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत नि0 जोलियाली तह व जिला जोधपुर (राज0) 3. छोटूकंवर पुत्री विजयसिंह पत्नि फतेहसिंह जाति राजपूत नि0 गैसाणा तह0 सोजत जिला पाली।		1 अणचीकंवर बेवा जयसिंह जाति राजपूत नि0 धांगडवास, तह0 सोजत जिला पाली (राज0) हाल राजपूतों का मौहल्ला ग्राम पोस्ट भाम्बू तह व जिला जोधपुर 2 तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर)सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए एवं 188 आर0टी0एक्ट0 1955</u>

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्री कमलेश गोयल अधिवक्तागण वादीगण एवं श्री विनोद वैष्णव एवं अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 01 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उक्त विवेचनानुसार आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 01 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा धांगडवास प0ह0 रेपड़ावास के पूर्ववर्ती स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 46, 47 तथा 270 व 271 को गलत एवं अवैधानिक भरे जाने से खारिज किया जाता है । किन्तु खसरा नम्बर 675 / 970 की हद तक दावा अधिवक्ता मय वादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार सरहद मौजा धांगडवास, प0ह0 रेपड़ावास, तह0 सोजत में स्थित खसरा नंबर 74, 78, 79, 119, 189 कुल रकबा 4.9100 हैक्टर व खसरा नंबर 197 रकबा 1.1800 है0 की भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय विजयसिंह का पूर्ववर्ती राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नामान्तरकरण आदि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने से पैतृक एवं पुश्तैनी होना बखूबी प्रमाणित होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 के साथ वादीगण को जयसिंह पुत्र विजयसिंह के हिस्से में बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 के पति जयसिंह को आवंटन से प्राप्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नंबर 675 / 970 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में दर्ज इन्द्राज यथावत रखा जाता है। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा दखलंदाजी करने से रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब होकर शामिल मिशल हो। तहसीलदार, सोजत को निर्णय डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान — मुबलिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य की अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/05/2022 को जारी की गई।

(गेमाराम जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मुद्दई	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			